I J R S S I S, Spl Issue (IV), March-2022 : 296-299
A Double-Blind Peer Reviewed Journal
OPEN ACCESS
e-ISSN 2347 – 8268 & 2347-8209 (P)
Original Article
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCE AND INFORMATION STUDIES
© VMS RESEARCH FOUNDATIONwww.ijrssis.in

मानवाधिकार:और हिन्दी साहित्य

डॉ. रविंद्रनाथ माधव पाटील

हिन्दी विभाग प्रमुख
डॉ. खत्री महाविद्यालय तुकूम चंद्रपुर
*Corresponding Author: ravindranathpatil5@gmail.com

Communicated :20.02.2022 | Revision : 15.03.2022 Accepted :25.03.2022 | Published: 30.03.2022

सारांश :

भारत देश की जनता को अनेक वर्षो की गुलामी की समयावधि में हर तरह की परेशानियों और मुसिबतों से गुजरना पडा। उस समय प्रचलित सभी प्रकार की अमानवीय अव्यवस्था ही इसके लिए कारणीभूत थी। सदियों से जिनपर अनेक प्रकार के अमानविय अन्याय, अत्याचार प्रस्थापित अव्यवस्था व्दारा होते रहे। जहॉ पुलिस व कानून भी मानव के जीवनावश्यक अधिकार को नकारती थी। बल्कि इन अधिकारों को संरक्षित, सुनिश्चित करना संबंधित व्यवस्था का दायित्व था। जनता के इस संघर्ष को मानवाधिकार, मुलभूत अधिकार, जीवनावश्यक अधिकार कहा जाता है। जिसे आज मानवाधिकार सुनिश्चित, सुरक्षित करता है। उसीको प्राचीन समय का उपलब्ध साहित्य जिसे संत, सुधारक, विद्दवान साहित्यिक समाज, मानव की वास्तविक परिस्थितियों को उजागर करके, मौलिक आदर्श स्थापित करके, मानव की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत था। साहित्य मानव में चेतना, जागृती, नयी कलयाणकारी दृष्टि प्रदान करता है। साहित्य के पठन–पाठन, चिन्तन, क्रियान्वयन से मानव स्वार्थ के सीमित घेरे से मुक्त होकर समाज के सर्वांगिण हित के लिए अग्रसर रहता है। यह कार्य हिन्दी साहित्य में स्वतंत्रता पूर्व से आजतक निरंतर किया जा रहा है। इस प्रकार मानवाधिकार और साहित्य मानव, पर्यावरण तथा सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

बीजशब्द : प्राकृतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, मानवाधिकार, हिन्दी साहित्य, साहित्य में मानव का सर्वांगिणहित, भारत में मानवाधिकार ।

प्रस्तावना :

आधुनिक युग में हम देखते है, कि कुछ स्वार्थी मानव अपने ज्ञान, विज्ञान, पूंजी सत्ता तंत्र के अनावश्यक व अति के कारण स्वार्थ वश सारी मानव जाति व पर्यावरण को विनाश की खाई में धकेलते चले जा रहे है। जिसके कारण धरती का, मानव जीवन का सर्वांगिण पर्यावरण प्रदुषित हो रहा है। जल, जमीन, जंगल, वायु आदि का क्षरण हो रहा है। मानव जन्मत: प्राप्त अधिकार, अपने परिश्रम, त्याग, समर्पण और ज्ञान–विज्ञान–विवेक–बुद्धि के बल पर अबतक आकाश, पाताल और ब्रम्हांड पर भी विजय प्राप्त कर चुका है। यह सब माानव ने अपनी सुख–सुविधा, संरक्षण व विकास के लिए किया है। मानव के इस सर्वांगिण विकास में राष्ट्रभाषा हिन्दी में उपलब्ध अबतक का साहित्य महत्वपर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि साहित्यकार अपने समाज के साथ ही प्राणीमात्र के भावों, अनुभूतियों व अपने हित को समझ सकता है। साहित्य व्दारा सुख–दु:ख, राग–विराग, आल्हाद–प्रमोद को सहानुभूति, स्वानुभव से मानव को जनकल्याण की और मोड सकता है। साहित्य मानवों में आत्मीयता का भाव निर्माण करके सुख, शांति, विकास की संस्थापना कर सकता है। इसीलिए मानवाधिकार व साहित्य का सही क्रियान्वयन मानव, पर्यावरण व धरती के लिए अतिआवश्यक है।

हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक परिचय व मानवोपयोगिता

हिन्दी साहित्य एक हजार से अधिक वर्ष की परंपरा से संपन्न है। ''प्राचीन कांल से भारत वर्ष काव्य शब्द उस समस्त सृजना के लिए प्रयुक्त होता आया जिसे आज सहित्य के नाम से जानते है।''१ हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह बात स्वयं स्पष्ट होती है, कि ''हिन्दी साहित्य का आदिकाल जो सन १०५० से १३७५ तक माना जाता है। ''इस काल में सिद्ध, नाथ, जैन, चारणी साहित्य और प्रकीर्णक साहित्य आदि की साहित्य लिखा गया। जिसमें राजसभाओं में सुनाये जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय: दोहों में कहें जातें थें और वीररस के पद्य छप्पय में।''२

''हिन्दी साहित्य का दूसरा काल पूर्व–मध्य–काल : भक्तिकाल सन १३७५ से १७०० तक का समय माना जाता है। इसे हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस काल में हिन्दी साहित्य की समस्त श्रेष्ठ रचनाएॅ रची गयी। इस युग के कवियों में अबतक के महान कवि हुए है। जिनमें संत कबीर, दादू, जायसी, सुर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, आदि उल्लेखनिय है। इस युग में भक्ति

भावना निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में चित्रित की गयी। निर्गुण भक्ति भावना के कवियों ने ज्ञान साधना और प्रेमतत्व को माध्यम बनाकर काव्य रचनाएँ की, जिसे ज्ञानमार्गी और प्रेम मार्गी दो उपधाराओं में और सगुण भक्ति भावना को भी दो धाराओं में रामभक्ति शाखा और कृष्णभक्ति शाखा में विभाजित किया गया। इन भक्त कवियों ने विभिन्न देवी–देवताओं, भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण की उपासना का, भक्ति, आराधना व शरण का उनके गुणों का वर्णन दोहे, पद आदि व्दारा किया है।'' ३

''हिन्दी साहित्य का उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल सन १७०० से १९०० तक माना जाता है। इस काल में काव्य रीति पर अधिक रचनाएँ लिखि गयी। इस काल के कवि अधिकतर आचार्य थें, जिन्होंने विभिन्न काव्यांग लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले श्रृगांरप्रधान ग्रंन्थ लिखें। इस युग में मुख्यत:कवित्त, सवैयें और दोहों की रचना की गयी। यह युग भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की रचनाओं में प्रबल रहा है। इस काल में केशवदास, चिन्तामणी, देव, बिहारी, मतिराम, भूषण, घनानंद, पदमाकर आदि प्रसिद्ध कवि हुए है। इसमें पांडित्य प्रदर्शन व श्रुगांर का अति वर्णन है।''४

''हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल सन १९०० से अबतक माना गया है। इस काल को गद्यकाल तथा नवजागरण काल कहा जाता है। इस काल में हिन्दी साहित्य का गद्य लेखन अंकुरित हुआ। इस युग का भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग आदि में गद्य–पद्या में रचना निर्मिती का कार्य बडे जोर–शोर से होने लगा। इस युग में खडी बोली के सुव्यवस्थित रूप का प्रारंभ हुआ। इस युग के प्रमुख कवि और लेखको में भारतेन्दु हरिश्चंद्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिलिशरण गुप्त, अयौध्यासिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, प्रेमचंद, अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, हरीवंशराय बच्चन, महापंडीत राहुल सांकृत्यायन, अमृता प्रितम, आदि एक से बढकर एक कवि, लेखक, आदि हुए।''५ जिन्होंने हिन्दी साहित्य की अनेक धाराओं, विधाओं व्दारा मानव चेतना, सुधार, अधिकार की बात चलायी। मानव के सर्वांगिण विकास को चालना मिली।

हिन्दी साहित्य ज्ञान–विज्ञान अनुसंधान व्दारा मानव जीवन के अज्ञानांन्धकार को मिटाकर, जागृत करने का, वास्तविका का चित्रण कर आदर्श निर्माण का मौलिक कार्य करने में निरंतर क्रियाशिल रहा है। साहित्य मानव समाज की सभी गतिविधियों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। क्योंकि काव्य अर्थात साहित्य का प्रयोजन ही पारस के समान सूवर्ण एवं अमृत तूल्य है। ''काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन का विस्तृत विवेचन आचार्य मम्मट ने निम्न नुसार किया है।

'काव्य यशसेर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्य: पर निर्वृत्तये कान्ता सम्मित तथोपदेष युजे।'

अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदृ बनने के लिए, अनिष्ट निवारण के लिए, शांतिजन्य आनंद, पत्नी सदृश्य उपदेश के लिए। इन प्रयोजनों में से पहले ३ कवि के लिए है यश, अश्र प्राप्ति,, अनिष्ट निवारण, तो अन्य व्यवहारविद बनने के लिए, शांतिजन्य आनंद के लिए, पत्नी सदृश्य उपदेश के लिए यह पाठको के लिए है।''६

मानवाधिकार का परिचय व उपयोगिता

मानव के कुछ जन्मजात, प्रकृतिदत्त अधिकार होते है, जिसे मूलभूत अधिकार, जीवनावश्यक अधिकार मानवाधिकार कहा जाता है। जिसे सुनिच्छित कराना संबंन्धित सरकार का दायित्व होता है। मानव समाज के हर व्यक्ति को, सम्मानजक जीवन जीने का अधिकार है वही मानवाधिकार का सार्वभौमिक तथ्य है। क्योंकि संसार की सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवनादर्शो का आधार ही मानवाधिकार है। जो प्रकृति व पर्यावरण के स्वच्छ व निर्मल वातावरण में फलता–फुलता है। ''पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भौतिक एवं जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते है, बढते–पनपते है और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते है। प्रकृति अपनी ओर से सभी संघटकों का अनुपात हमेशा ठीक बनाए रखने की भरकस चेष्टा करती है। लेकिन मानव ने प्रकृति को छोडकर उसकी मूल संरचना में, व्यवस्था में दखलंदाजी की है और फलस्वरूप पर्यावरण की बिगडती दशा आज समूचे सभ्य संसार के लिए चर्चा का विषय है।''७ वास्तविक जीवन में भूख, गरीबी, हिंसा, अत्याचार आदि का अतिरेक सामान्य मानव को परेशान करते आ रहा है जिसे मानवअधिकार का हनन कहा जा सकता है। इसिलिए मानविय जीवन मूल्यों के संरक्षण व संवर्धन हेतू ''२४ अक्तुबर १९४५ को संयुक्त राष्ट् संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट् संघ महासभा व्दारा १० दिसम्बर १९४८ को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा–पत्र को अपनाया गया। इस सार्वभौमिक घोषण–पत्र में ३० अनुच्छेद है। जिसें 'मानवता का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। संयुक्त राष्ट् महासभा ने मानवाधिकारों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन चार रूपों को प्रस्तुत किया है।''८ मानवाधिकार के मूल में मानव गरिमा व

निष्पक्षता निहित है। जो मानव को उसमें निहित मूल प्रवृत्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधि विधेयक में समानता, शिक्षा, धर्म, सामाजिक सुरक्षा, मानव व्यवहार, न्याय, आत्मनिर्णय का अधिकार, धर्मातरण संरक्षण और आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के सभी अधिकार संम्मिलित है। साथ ही बालकों और महिलाओं के अधिकारों को भी संम्मिलित किया गया है। जिसमें सभी का हित समाया हुआ है।

भारत में मानवाधिकार

''भारतीय संविधान की १९७६ की संशोधित उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखझडता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता,''९ आदि मूलभूत तत्व सम्मिलित है। हमारा संविधान भाग–३ अनुच्छेद १२ से ३५ तक मूल अधिकारों की घोषण करता है। भाग–४ अनुच्छेद ३६ से ५१ तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की घोषण करता है। भारत देश संयुक्त राष्ट्संघ का सक्रिय सदस्य है। संयुक्त राष्ट् संघ के सभी विचारों, आदर्शो, मानकों और मूल्यों का क्रियान्वयन करता है जो मानवाधिकारों के यू.एन.चार्टर में है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों में मानवाधिकारों की सर्वाभौमिक घोषणा को उधृत करता है। हमारे देश में आज भी अनेक प्रकार की विषमताएँ है। इसिलिए भारत सरकार ने मानववाधिकारों की रक्षा और जागरूकता प्रचारित करने के उद्देश्य से सितम्बर १९९३ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। जिसका गठन राष्ट्पति के अध्यादेश व्दारा १९९३ में किया गया। जिसके तहत १९९४ मे एक अधिनियम पारित करके हर राज्यों में मानवाधिकार आयोग और हर जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। ''महिलाओं पर होनेवाले शोषण व अल्याचार को ध्यान मे रखकर महीला मानवाधिकार सुरक्षा का कानून बनाया गया।''१० बालकों के मानवाधिकार को ध्यान में रखकर १९७५ मे सरकार ने बालविकास सेवा नामक योजना बनाई उसके तहत बालवाडी योजना शुरू की। उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को पर्याप्त पोषण, आवास, मनोरंजन, और चिकित्सा सेवाओं का अधिकार प्राप्त हो।

निष्कर्ष:

हिन्दी साहित्य अपनी अनेक विधाओं के साथ १००० वर्षो से अधिक समय से मानव के सर्वागिण हित के लिए निरंतर कार्यतर है। अनेक लोगों के त्याग, समर्पण, बलिदान, संघर्ष, अनेक प्रकार के आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत देश राजनीतिक रूप से सन १९४७ में स्वतंत्र हुआ। फिर भी भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि अनेक प्रकार की विषमताएँ है। जिसके लिए मानव समाज में अनेक वर्षो से आरंभ हुई और आज भी चल रही बौद्धिक भ्रांतियों, अनैतिक आकांक्षाओं और असामाजिक, अधार्मिक, अराजनीतिक, अधार्मिक ढाँचे की अस्त–व्यस्तताएँ कारणीभूत है। जिससे बहुसंख्यांक मानव, स्त्री–बालक प्रताडित है, धरती का सर्वागिण पर्यावरण प्रदुषित है। मानव का भौतिक और आंतरिक मनोजगत भी प्रदुषित हो रहा है। इन सबसे मुक्ति का उपाय मानव का मूलभूत, जीवनावश्यक, मानवाधिकार का सही तरह से क्रियान्वयन है। जिसे संयुक्त राष्ट् महासभा ने मानवाधिकारों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन चार रूपों को प्रस्तुत किया है। आधुनिक युग में संयुक्त राष्ट्संघ व्दारा निर्मित मानवाधिकार व मानवहित में महापुरूषोंव्दारा चलाये गए सुधारवादी आंदोलन, साहित्य उपयोगी है। प्राचीन काल से निरंतर क्रियाशील हिन्दी साहित्य, और आधुनिक हिन्दी साहित्य तथा हिन्दी का दलित साहित्य निरंतरं कार्यरत है। साहित्य के निष्पक्ष क्रियान्वयन तथा मानवाधिकार के सक्रिय सहयोग से मानवजगत तथा उसके पर्यावरण की समस्याओं का समाधान होगा। मानव का जीवन सुख, शांति व स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सकेगा।

संदर्भ :

साहित्य–रूप एवं समीक्षा प्रकाशक महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणें १अगस्त १९८९ पृष्ट ६

हिन्दी साहित्य का इतिहास–आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशक संस्थान ४७१५६२१, दयानंद मार्ग, दरियागंज नयी दिल्ली–११०००२ पृष्ठ ४०

हिन्दी साहित्य का इतिहास–आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशक संस्थान ४७१५६२१, दयानंद मार्ग, दरियागंज नयी दिल्ली–११०००२ पृष्ठ ६१से ७०

हिन्दी साहित्य का इतिहास–आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशक संस्थान ४७१५६२१, दयानंद मार्ग, दरियागंज नयी दिल्ली–११०००२ पृष्ठ १८० से १८५

हिन्दी साहित्य का इतिहास–आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशक संस्थान ४७१५६२१, दयानंद मार्ग, दरियागंज नयी दिल्ली–११०००२ पृष्ठ से

साहित्य–रूप एवं समीक्षा प्रकाशक महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणें १अगस्त १९८९ पृष्ट ९

पर्यावरण संरक्षण: हमारा नैतिक दायित्व—शुकदेव प्रसाद संपादित पाठयपुस्तक साहित्य रश्मि गोंडवाना विश्वविद्यालय गडचिरोली प्रकाशक राघव पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्युटर्स नागपुर—१३ isbn:978-93-83132-53-9 प्रथम संस्करण —२०१७ पृष्ट ३५.

भारतातील स्थानिक स्वशासन—मराठी—लेखक—प्रा. रा.ज. लोटे पिंपलापुरे टूण्ड कं. पब्लिशस्र नागपुर ISBN: 978-93-82136-18-7 प्रकाशन कं. ३६९ दूसरी आवृति: जून २०१४पृष्ट १७९,१८०

भारत का संविपधान एक परिचय—आचार्य डॉ. दुर्गा दास बसु प्रकाशक—LexisNexis A division of Reed Elsevier Pvt.Ltd. Gurgaon-123002Haryana, India page No. 23.

महिला शोषण और मानवाधिकार—सुधारानी श्रीवास्तव और आशा श्रीवास्तव— ISBN: 81-88775-49-5 प्रथम संस्करण २००४ पृष्ट ४६—६४